

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वरि.फिजीयो/एफ-435/24/ 69 दिनांक:- 13/3/24

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/वरि.फिजीयो/एफ-435/23/227 दिनांक 12.09.23 के द्वारा निम्नलिखित कार्मिकों को फिजियोथेरेपिस्ट से वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था का इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान
1.	श्रीमती नीतु अमर सिंह	22-06-88	प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	प्रधानाचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	श्रीमती अंजू भार्गव	28-07-65	पीएमओ, चूरू	अधीक्षक, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर
3.	श्रीमती मोनिका राय	14-02-87	अधीक्षक, हरिबक्श कांवटिया अस्पताल, जयपुर	अधीक्षक, एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर
4.	श्री प्रदीप कुमार जैन	30-07-65	पीएमओ, करौली	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा
5.	श्री लोकेश कुमार जोनवाल	19-11-83	पीएमओ, ब्यावर	अधीक्षक महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर

1-राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-II/95 दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 19.09.17 के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदोन्नत कार्मिकों के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो उन कार्मिकों का कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट-जयपुर दिनांक 24.05.2023, दिनांक 16.03.23 एवं 27.03.23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत पदोन्नत कार्मिकों को कार्यग्रहण कराया जाना है तथा इनके वेतन नियतन की कार्यवाही की जावेगी।

2-उक्त कार्मिकों को दिनांक 20.03.2024 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा उक्त आदेश निरस्त समझे जायेंगे तथा पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को अग्रिम आदेशों की प्रतिक्षा में निदेशालय, मुख्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

RajKaj Ref
6100355

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वरि.फिजीयो/एफ-435/24/69 दिनांक:-13/3/24

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
- 4- संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 5- संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
- 6- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

RajKaj Ref
6100355

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-03-2024 04:21:21